न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण **501/2017**

प्रार्थीगण :–

1. हडमानराम पुत्र जगाराम
2. रणछोडराम पुत्र जगाराम
3. गवरी पत्नि जगाराम जाति कुम्हार निवासी बालोतरा
   तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

वनाम

विप्रार्थीगण :–

1 वासुदेव पुत्र धनराज खटीक
2 पुखराज पुत्र इन्द्राराम ,खटीक
3 रामेश्वर पुत्र मोहनलाल कुम्हार
4 भूरीदेवी पत्नि नेनाराम मेगवाल
5 मोमताराम पुत्र सालूराम
6 घेवरचंद पुत्र मलाराम
7 भीमाराम पुत्र मलाराम
8 रामूदेवी पत्नि मलाराम
9 कलाराम पुत्र नाथाजी
10 मीठालाल पत्रु गुणेशजी
11 जेठाराम पुत्र नाथाजी
12 राजेन्द पुत्र नरपतलाल
13 नवीन पुत्र नरपतलाल
14 बबरीदेवी पत्नि नरपतलाल सभी जातियान कुम्हार निवासी बालोतरा
15 गोबाराम पुत्र लच्छाराम जाति मेगवाल निवासी जेरला
16 राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0

बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी प्रार्थीगण वकील
2. श्री बाबूलाल सांखला विप्रार्थीगण वकील
3. श्री अरिहन्त तातेड विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 20.12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पुराना खसरा न0 407 रकबा 05 बीघा 04 विस्वा,

Scanned by CamScanner

सरा न0 खसरा न0 408 रकबा 02 बीघा 16 विस्वा, खसरा न0 1000/409 रकबा 30 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा न0 1004/409 रकबा 07 बीघा 03 विस्वा सरहद मौजा जेरला में अवस्थित है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 16 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 2 जवाव पेश कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी भूमि की पैमाईश करावाई जाएं।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 13.11.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 3 व 11 ता 14 को बाद तामिल के प्राप्त हुआ। दीगर विप्रार्थीगण को जरिय रजिस्टर्ड नोटिस बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कि जाती है ।

दोनो पक्षों के वकीलों की बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक ~~सिवाडी~~ बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश, पत्थरगढी पुराना खसरा न0 407 रकबा 05 बीघा 04 विस्वा, खसरा न0 खसरा न0 408 रकबा 02 बीघा 16 विस्वा, खसरा न0 1000/409 रकबा 30 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा न0 1004/409 रकबा 07 बीघा 03 विस्वा सरहद मौजा जेरला की करे व भू-मापककर्ता बालोतरा को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू-मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे। भूमापक को तहरीर जारी हो।

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 20 .12.2017 सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा